इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 11 | जून, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....4
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

डिजिटल कर्ज देने को विनियमित व सुगम बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल कर्ज निदेश, 2025 जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) तथा कर्ज सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के लिए डिजिटल कर्ज निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार:

- डिजिटल कर्ज देने हेतु कर्ज सेवा प्रदाताओं के साथ करार करने से पूर्व विनियमित संस्थाओं को और अधिक समुचित सावधानी बरतनी होगी।
- कर्ज सेवा प्रदाता ऋणी की आवश्यकताओं को समझ कर इन मानदंडों से मेल खाते सभी ऋण प्रस्तावों के डिजिटल कर्जदाता एप (डीएलए) पर डिजिटल दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।
- कर्ज सेवा प्रदाता अपनी समस्त विषय वस्तु के प्रदर्शन में बिल्कुल पक्षपात रहित एवं वस्तुनिष्ठ रहा करेंगे। वे किसी भी विनियमित संस्था के किसी भी उत्पाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने या बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेंगे।
- ऋण सीमा स्वत: नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक ऋणी द्वारा इसके लिए स्पष्ट अनुरोध नहीं किया गया हो।
- ऋणी मूल धन तथा आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का भुगतान कर डिजिटल ऋण से बाहर हो सकेंगे। प्रारम्भिक 'कूलिंग ऑफ अवधि' के दौरान ऐसी निकासी पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।
- ऋणी के साथ संबद्ध विनियमित संस्था तथा कर्ज सेवा प्रदाता, ऋणियों द्वारा उठाई गई किसी शिकायत पर कार्यवाही हेतु नोडल शिकायत समाधान अधिकारी निर्दिष्ट करेंगे।
- विनियमित संस्था तथा कर्ज सेवा प्रदाता विस्तृत निजता नीति जो लागू नियमों के अनुरूप हो, तैयार कर इसका पालन करेंगे।
- किसी भी समय पर, किसी बकाया पोर्टफोलियो पर, चूक हानि गारंटी कवर की कुल राशि, संबंधित ऋण पोर्टफोलियो से संवितरित कुल राशि के 50% से अधिक नहीं होगी।

दिव्यांगजन हेतु डिजिटल केवाईसी को समावेशी व सुगम्य बनाने हेतु सेबी द्वारा कार्यवाही

डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए वित्तीय सेवाओं तक दिव्यांगजन की समान पहुँच संभव करने हेतु सेबी ने अधिदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा समुचित सुगम्यता अपना कर उन्हें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की डिजिटल प्रक्रिया की इन व्यक्तियों तक पहुँच अनिवार्यत: सुनिश्चित करनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति की सहमति से, मध्यस्थ भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से केवाईसी डेटा का उपयोग कर सकते हैं। यदि अनुरोध किया जाए तो मध्यस्थों द्वारा समावेशी तरीके अनिवार्यत: उपयोग में लाए जाएँ तथा ग्राहकों की उपस्थिति एवं पहचान के सत्यापन हेतु लाइव वीडियो केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में उनकी मदद की जाए। यदि कोई दिव्यांगजन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उनकी ओर से अभिभावक ऐसा कर सकते हैं। इस हेतु, अभिभावक तथा संबंधित व्यक्ति, दोनों को, लागू केवाईसी आवश्यकताएँ अवश्य पूरी करनी चाहिए। यदि ई-केवाईसी दस्तावेज़ ठीक से ई-हस्ताक्षरित हैं तो अंगूठा निशान भी स्वीकार्य होगा।

केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों हेतु सेबी द्वारा 'निवेशक चार्टर' जारी

निवेशक सेवा अनुरोधों को पूरा कराने हेतु जहां एक निवेशक/ग्राहक को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों से संपर्क करना हो, से संबन्धित विभिन्न कार्यकलापों के विषय में निवेशकों को अवगत कराने हेतु, सेबी ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के लिए एक 'निवेशक चार्टर' तैयार किया है। इस चार्टर में निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं, निवेशकों के अधिकारों तथा उनके लिए तत्पर शिकायत समाधान व्यवस्था का विवरण दिया गया है। चार्टर में केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के कार्यकलापों तथा निवेशक क्या करें और क्या न करें, का भी उल्लेख होगा। केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के लिए अनिवार्य है कि वे चार्टर को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा नए व मौजूदा ग्राहकों के भले के लिए इसे अपने कार्यालय में प्रमुख स्थानों पर लगाएँ।

निवेशकों की रक्षा तथा बाजार अनुशासन की बेहतरी के लिए सेबी ने डेरिवेटिव नियमों को सख्त कर दिया है

ट्रेडिंग को और सुविधाजनक बनाने तथा इक्विटी डेरिवेटिव खंड में जोखिम निगरानी सुदृढ़ करने हेतु, सेबी ने कुछ उपायों की घोषणा की है। तदनुसार, डेरिवेटिव में भागीदारों के ओपन इंटरेस्ट (ओआई) की माप एक पोर्टफोलियो स्तर पर किसी दिए गए समय पर

अंडरलाइंग हेतु फ्यूचर्स तथा ऑप्शन में निवल डेल्टा समायोजित ओपन पोजीशन की गणना कर की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि बाजार भर में पोजीशन लिमिट (एमडबल्यूपीएल) का मापांकन ओपन इंटरेस्ट माप के नए सूत्र से किया जाए तथा बाजार भर में पोजीशन लिमिट को फ्री फ्लोट 15% नीचे कर तथा फ्री फ्लोट के 10% की अधिकतम सीमा सहित समाशोधन निगमों में औसत दैनिक डिलिवरी मूल्य (एडीडीवी) का 65 गुना कर किया जाए। किसी स्क्रिप के प्रतिबंधित अवधि में इसके प्रवेश के बाद, संस्थाओं द्वारा इसकी डेरिवेटिव संविदा में की गई ट्रेडिंग का परिणाम दिनांत आधार पर फ्यूचर समतुल्य (FutEq) ओपन इंटरेस्ट में कमी होगा।

बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई) हेतु लेखा परीक्षा मापदंडों में सेबी द्वारा संशोधन

अभिशासन को सुदृढ़ करने हेतु सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थाओं के लिए लेखापरीक्षा मापदंडों को संशोधित किया है। संशोधित मापदंडों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों तथा समाशोधन निगमों की लेखापरीक्षा समितियों में कोई कार्यपालक निदेशक (ईडी) (इसमें प्रबंध निदेशक (एमडी) शामिल हैं) मौजूद नहीं होगा। यदि समिति के अध्यक्ष अनुमति दें तो प्रबंध निदेशक को बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार लेखा परीक्षा समिति की बैठकों जिनमें लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही हो, में बाजार अवसंरचना संस्थाओं के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दिया जा सकता है, पर उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त होगा। सेबी ने सभी बाजार अवसंरचना संस्थाओं को उनके कार्यों तथा गतिविधियों की एक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा करने को कहा है। बाजार अवसंरचना संस्थाएं आंतरिक लेखा परीक्षा नियुक्त करने हेतु अपनी लेखा परीक्षा समिति और शासी मंडल द्वारा अनुमोदित नीति भी तैयार करेंगी।

गिफ्ट (GIFT) सिटी से कार्य करने हेतु शेयर दलालों के लिए मानदंडों में रियायत

गिफ्ट सिटी (आईएफएससी-जीआईएफटी) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में व्यापार करने के लिए शेयर दलालों की राह आसान बनाने हेतु, सेबी ने गिफ्ट सिटी (आईएफएससी-जीआईएफटी) में प्रतिभूति बाजार आधारित गतिविधियां संचालित करने हेतु उनके लिए इसकी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता हटा दी है। अब, शेयर दलाल जीआईएफटी-आईएफएससी में इन कार्यों को स्टॉक ब्रोकिंग निकाय की ही अलग कारोबारी इकाई (एसबीयू) के अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही इन कार्यों को एक शाखा जो सामरिक कारोबार इकाई (एसबीयू) के रूप में मान्य हो, के जरिए अथवा अनुषंगी (वर्तमान प्रथा को जारी रखते हुए) के जरिए भी संचालित किया जा सकता है। दलालों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि एक एसबीयू या जीआईएफटी-आईएफएससी में ऐसे कार्य भारतीय प्रतिभूति बाजार संबंधी उनके द्वारा संचालित कार्यों से अलग रखे जाएँ। जीआईएफटी-आईएफएससी में प्रतिभूति बाजार संबंधित कार्यकलापों का संचालन आईएफएससीए द्वारा अनुमत मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) अब ईएल रेटिंग पर म्युनिसिपल बॉण्ड को रेट कर सकती हैं: सेबी

म्युनिसिपल बॉण्ड में जोखिम की माप उपलब्ध कराने हेतु सेबी ने इसके लिए 'संभावित हानि-आधारित रेटिंग स्केल' की सुविधा प्रदान की है। अब तक यह स्केल (जिसे ईएल रेटिंग भी कहा जाता है), क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं तथा लिखतों मात्र के लिए उपयोग की जा रही थी। सेबी ने महसूस किया कि म्युनिसिपल बॉण्ड यदि मानक रेटिंग स्केल/चूक संभावना (पीडी) रेटिंग सहित ईएल रेटिंग पर रेट किए जाएँ तो यह इन बॉण्ड की वसूली संभावनाओं की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि शहरी स्थायी निकाय/नगरपालिकाएँ अपने बॉण्ड मुख्यत: अवसंरचना निर्माण या विकास के लिए जारी करती हैं, म्युनिसिपल बॉण्ड की रेटिंग हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ईएल रेटिंग स्केल को औचित्यपूर्ण ठहरा सकती हैं क्योंकि इनका निर्गम अवसंरचना आस्तियों के वित्तपोषण हेतु किया जाता है।

केवाईसी को अद्यतन करने तथा आवधिक रूप से अद्यतन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ड्राफ्ट परिपत्र जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) को अद्यतन करने/आवधिक रूप से अद्यतन करने पर परिपत्र का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के मसौदे में अनिवार्य किया गया है कि बैंक केवाईसी अद्यतन करने की सुविधा ग्राहक की मूल (home) शाखा सहित सभी शाखाओं में प्रदान करें। साथ ही, बैंक खुद आने में असमर्थ ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा विकल्प के रूप में अवश्य प्रदान करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव के अपने मसौदे में बैंकों को कहा है कि ग्राहकों के बैंक खातों में केवाईसी बकाया हो जाने पर उन्हें पर्याप्त नोटिस भेजें। एक अन्य प्रस्तावित नियम केवाईसी को अद्यतन करने/आवधिक रूप से अद्यतन करने में बैंकों द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) का उपयोग करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी को अद्यतन करने/आवधिक रूप से अद्यतन करने के सरलीकरण का प्रस्ताव किया है जिसमें स्व-घोषणा शामिल है। आगे, विनियमित संस्थाओं को निदेश दिया गया है कि केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईआर) से प्राप्त अपडेट अधिसूचना के आधार पर ग्राहक की केवाईसी जानकारी/अभिलेख को अद्यतन कर लिया करें। इन उपायों का उद्देश्य अपरिचालित खातों तक वापस पहुँच अथवा अदावी जमाराशियों का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

नए आईबीसी विनियमों से व्यैक्तिक जमानतदारों की जवाबदेही में वृद्धि

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने समाधानकर्ता पेशेवरों (आरपी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि एक व्यैक्तिक जमानतदार द्वारा चुकौती योजना न प्रस्तुत करने की स्थिति में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) को सूचित करें। ऋणी द्वारा कोड की धारा 105 के तहत जहां कोई चुकौती योजना नहीं तैयार की गई है, समाधानकर्ता पेशेवर ऋणदाताओं का अनुमोदन लेकर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करेगा जिसमें चुकौती योजना न प्रस्तुत किए जाने की जानकारी देते हुए समुचित निदेशों की मांग की गई हो। इस विनियम से व्यैक्तिक जमानतदारों की जवाबदेही में प्रभावी ढंग से वृद्धि होगी तथा जहां व्यैक्तिक जमानतदार एक चुकौती योजना नहीं तैयार करता, समाधानकर्ता पेशेवर को निश्चित कार्यवाही बताने की अनुमति देने से अनुचित विलंब में कमी आएगी। यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा समयबद्ध निदेश देने अथवा समय पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करने में सहायक होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों हेतु कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (सीडीएस) में सामान्य रूट से निवेश करने को भारतीय रिज़र्व बैंक ने आसान कर दिया है

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) हेतु उनके द्वारा कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (सीडीएस) में उनके निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंड शिथिल कर दिए हैं। इस समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश अल्पावधि निवेश तथा संकेंद्रण जोखिमों के अधीन हैं। समीक्षोपरांत, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह आवश्यकता हटा ली है ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऐसा निवेश करना सुगम हो।

आईएफएससीए – पंजीकृत निधि प्रबंधन संस्थाएं अब विशेष योजनाएँ जारी कर सकती हैं

इंटरनेशनल फायनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथारिटी (आईएफएससीए) ने एक ढांचा जारी किया है जिसके जरिए एक वेंचर पूंजी योजना तथा सीमित (restricted) योजना, अनुमत प्रतिभूतियों में विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) से सह-निवेश कर सकते हैं, जिसे अब से विशेष योजना कहा जाएगा। आईएफएससीए के यहाँ पंजीकृत निधि प्रबंधन संस्थाएं जिनके पास या तो चालू वेंचर पूंजी योजना या सीमित योजना या दोनों (जिन्हें अबसे ''मौजूदा योजना'' कहा जाएगा), विशेष योजना जारी करने हेतु पात्र होंगी जिन्हें मौजूदा योजना के वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी I, II या III वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में वर्गीकृत किया जाएगा। किसी भी समय, मौजूदा योजना में इक्विटी शेयर पूंजी, हित या विशेष योजना में पूंजी अंशदान न्यूनतम 25% का होगा।

विनियामक के कथन

भारत का कायाकल्प तकनीकी नवोन्मेषों तथा संस्थागत सुधारों से होगा: अध्यक्ष, सेबी

16वें पूंजी बाजार सम्मेलन (ASSOCHAM) में बोलते हुए सेबी के अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा कि दीर्घकालिक निवेश, अवसंरचना, विस्तार, तकनीकी नवोन्मेष तथा व्यापक संस्थागत सुधार भारत के कायाकल्प का सुदृढ़ आधार निर्मित करेंगे। भले ही हमारी बैंकिंग प्रणाली ऋण मध्यस्थता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूंजी की भारी और दीर्घकालिक आवश्यकता है। परिणामत:, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, नवोन्मेष तथा औद्योगिक विस्तार के वित्तपोषण के लिए आवश्यक निवेश का आकार ही वित्तपोषण के विविध तथा संधारणीय स्रोतों की मांग करते हैं। इस अंतर को पूंजी बाजार प्रभावी ढंग से पाटता है क्योंकि यह इक्विटी तथा कर्ज वित्तपोषण के लिए मंच उपलब्ध कराता है जिससे कर्ज या संपार्श्विक पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना व्यापार आसान पूंजी जुटा सकते हैं। हमारे पूंजी बाजार विकास के चालक बने रहें, इसके लिए भरोसा, नवोन्मेष तथा आसान पहुँच महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, अप्रैल 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, अप्रैल 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही जो मार्च के 3.34% से घट कर 3.16% हो गई।

- अप्रैल 2025 में भारत के कुल निर्यात (वस्तु तथा सेवाएँ) में वर्षानुवर्ष 12.7% की वृद्धि हुई।
- 12.6% की वृद्धि दर्ज कर अप्रैल 2025 में जीएसटी वसूली ₹ 2.4 लाख करोड़ के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुँच गई।
- वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्षानुवर्ष 4% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल 2025 में सेवाओं की पीएमआई, लंबे समय के औसत 54.2 के ऊपर 58.7 के बढ़े दायरे में रही।
- यथा 2 मई 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि का ऋणों में वृद्धि से पीछे रहना जारी है।
- बैंक ऋणों में वर्षानुवर्ष 10.9% की वृद्धि हुई है जबकि जमाराशियों में वर्षानुवर्ष 10.3% की वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप ऋण-जमा अनुपात 79.39 है।
- वित्त वर्ष 25 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राय: स्थिर होकर 81 बिलियन डॉलर रहा।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	30 मई 2025 के दिन करोड रुपए	30 मई 2025 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5916602	691485	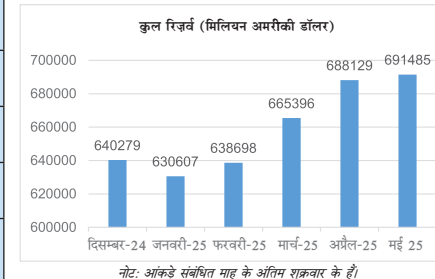
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4998795	584215	
1.2 सोना	721351	84305	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	158885	18569	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	37571	4395	

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

30 मई 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, जून 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	दर
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.33
SONIA (जीबीपी)	4.2104
STR (यूरो)	2.167
TONA (जापानी येन)	0.476
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.7500
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.85
SARON (स्विस फ्रैंक)	0.207503

एआरआर	दर
OCR (न्यूज़ीलैंड डॉलर)	3.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	2.140
SORA (सिंगापुर डॉलर)	2.1518
HONIA (हांगकांग डॉलर)	0.01313
MYOR (म्यांमार रुपया)	3.00
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.799

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ओपन इंटरेस्ट

वित्तीय बाज़ारों में ओपन इंटरेस्ट, एक दिए गए समय पर, एक आस्ति विशेष जैसे कि आप्शंस या फ्यूचर्स हेतु ओपन (अब तक समाधान या बंद न हुई) संविदाओं की कुल संख्या दर्शाता है। यह बाजार गतिविधियों तथा प्रतिबद्धताओं का मुख्य संकेतक है तथा बाजार के मिजाज, रुख की मजबूती तथा संभावित पलटावों हेतु अंतर्दृष्टि देता है। बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट का आशय यह है कि बाजार में नया धन आ रहा है जबकि घटते हुए ओपन इंटरेस्ट का अर्थ यह है कि बाजार से पैसा बाहर जा रहा है और कीमतों की जारी प्रवृति ठहर जाने वाली है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आर्थिक इक्विटी अनुपात

आर्थिक इक्विटी अनुपात एक वित्तीय मीट्रिक है जो एक कंपनी की कुल इक्विटी की इसकी कुल आस्तियों से तुलना कर इसके लीवरेज को दर्शाता है। यह एक कंपनी की आस्तियों जो शेयरधारकों की इक्विटी, न कि कर्ज से वित्तपोषित की गई हैं, के अनुपात को बताता है। यह किसी कंपनी की वित्तीय स्थिरता तथा जोखिम प्रोफाइल का संकेतक है। इसे इक्विटी अनुपात अथवा स्वामित्व अनुपात भी कहा जाता है।

आर्थिक इक्विटी अनुपात = कुल इक्विटी/कुल आस्तियां

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून 2025 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	10-12 जून, 2025	वर्चुअल
जोखिम प्रबंधन तथा निपटान सहित इक्विटी सौदों पर कार्यक्रम	16-17 जून, 2025	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
खुदरा बैंकिंग हेतु प्रभावी विपणन पर कार्यक्रम	16-17 जून, 2025	वर्चुअल
ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा वसूली पर कार्यक्रम	16-18 जून, 2025	
डिजिटल बैंकिंग सीएक्स – विपणन तथा ग्राहक जुड़ाव हेतु विजय-दायक रणनीतियों पर कार्यक्रम	17-18 जून, 2025	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	18-20 जून, 2025	
बैंकों/वित्तीय संस्थानों हेतु उन्नत ऋण प्रबंधन पर कार्यक्रम	19-21 जून, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आईआई-बीएफ, चेन्नई
सूचना प्रौद्योगिकी व साइबर सुरक्षा ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर अपराध रोकने पर कार्यक्रम	20-21 जून, 2025	वर्चुअल
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में प्रशिक्षकों हेतु कार्यक्रम	20-21 जून, 2025	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
आईआरएसी प्रावधान को न्यूनतम रखने हेतु रणनीतियों की समझ पर कार्यक्रम	21 जून, 2025	वर्चुअल
खुदरा बैंकिंग हेतु प्रभावी विपणन पर कार्यक्रम	25-26 जून, 2025	
विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	25-27 जून, 2025	
वित्तीय तथा तकनीकी विश्लेषण में मास्टरी पर कार्यक्रम	26-27 जून, 2025	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त रूप से वेबिनार का आयोजन

आईआईबीएफ तथा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू),''ऋण चूकों की छानबीन में फारेंसिक लेखांकन की भूमिका'' विषय पर 12 जून 2025 को वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर (डॉ.) हरेश बारोट, प्रोफेसर व डीन एनएफएसयू तथा डॉ. हिमांशु ठक्कर, सहायक प्रोफेसर, एनएफएसयू रहेंगे।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग व वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) के 14वें बैच 2025-26 की घोषणा

आईआईबीएफ ने बैंकिंग व वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) के 14वें बैच (2025-26) की घोषणा की है। कार्यक्रम कार्यरत अधिकारियों तथा कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया है। 10 माह की अवधि के इस कार्यक्रम में बैंकिंग व वित्त के विविध क्षेत्र शामिल हैं। यह एक हाइब्रिड कार्यक्रम है जिसमें सप्ताहांत सत्र ऑनलाइन होंगे और बीच में इमर्जन कार्यक्रम, आईआईएम कोलकाता कैंपस तथा आईआईबीएफ, मुंबई में एमडीपी के आयोजन होंगे। इस कार्यक्रम में संकाय उद्योग तथा शिक्षा जगत से विषेशज्ञ लोग होंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजान पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

अप्रैल-जून 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आने वाले अंक हेतु विषय 'नेट जीरो बैंकिंग' रखा गया है। उप-विषय हैं: दायित्वपूर्ण बैंकिंग, हरित वित्तपोषण, हरित बॉन्ड, हरित वित्तपोषण का अंगीकरण।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

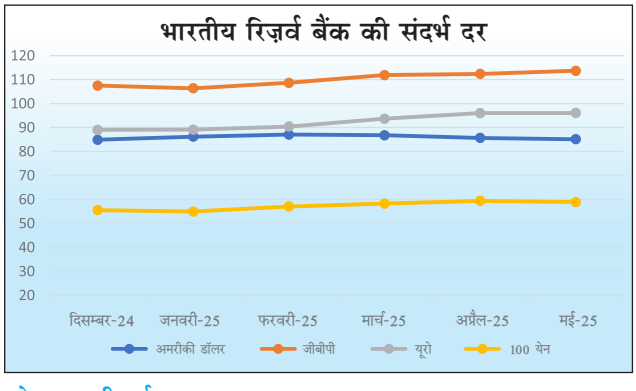

स्रोत: एफबीआईएल

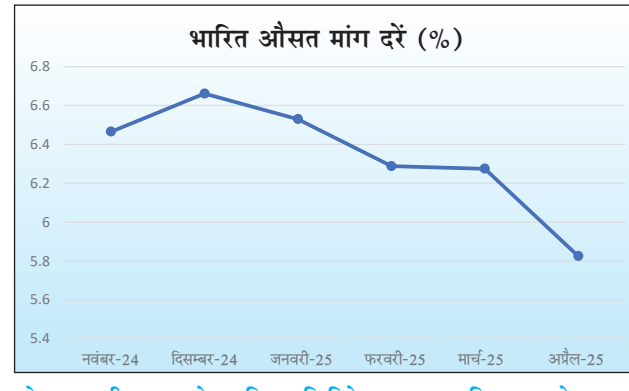

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

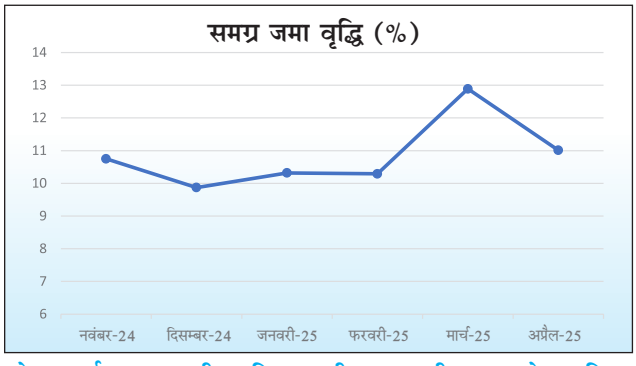

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2025

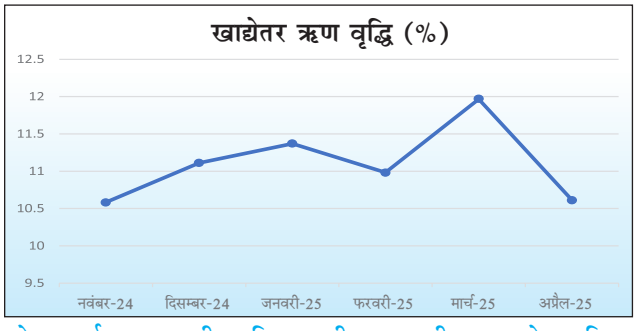

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2025

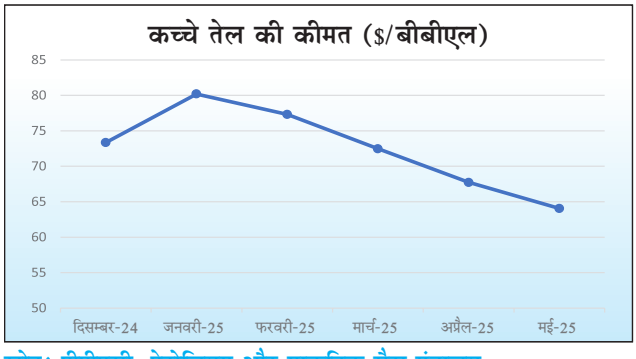

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

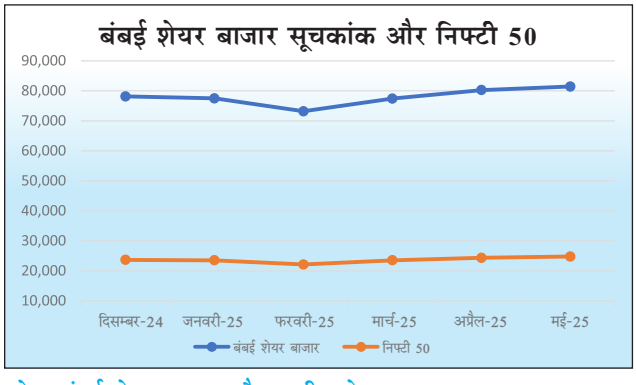

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

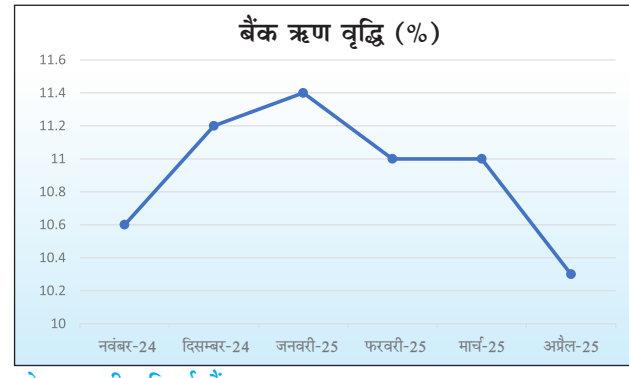

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

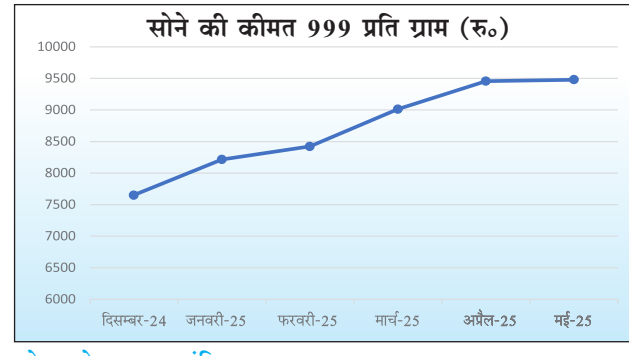

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in